

संख्या/No. 3/8/2018-उ.नि.(मध्योत्तर)/ 771-147)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (NORTH CENTRAL)
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME

संख्या/No.

3/8/2018-उ.नि.(मध्योत्तर)/ 771-147)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE

उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (NORTH CENTRAL)

हिंदी शिक्षण योजना

HINDI TEACHING SCHEME

पूर्वी खंड-7, तल-6,
East Block-7, Level-6,
रामकृष्णपुरम/R.K. Puram,

नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated.. 8/5/19.....

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

**विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जुलाई नवंबर, 2019 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण
प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।**

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र सोमवार 01 जुलाई, 2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से प्रारम्भ होगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 30 जून, 2019 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

...2

भारत की सभी भाषाएं बढ़े, संघ का काम हिंदी में करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
<p>ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।</p>	प्रबोध	<p>यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।</p>	<p>पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (01 जुलाई, 2019 से नवंबर, 2019 तक)</p>	<p>जो अधिकारी/कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं0 21034/66/20 11/2010-राभा (प्रशिक्षण)दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।</p>
	प्रवीण	<p>यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।</p>	<p>-वही-</p>	
	प्राज्ञ	<p>इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।</p>	<p>5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (01 जुलाई, 2019 से नवंबर, 2019 तक)</p>	
	पारंगत	<p>केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों / उद्यमों/अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।</p>	<p>-वही-</p>	<p>नगद पुरस्कार का मामला विभाग के विचाराधीन है।</p>

नोट:-

- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशापके पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है। राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके।

1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रणाली में भरा जाएगा। सभी हिंदी प्राध्यापक सुनिश्चित करें कि प्रणाली में पूरा डाटा सही भरा गया है। डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि से हिंदी प्राध्यापकों को यथासमय अवगत करा दिया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रणाली में अपलोड करने के पश्चात तत्काल उप निदेशक (मध्योत्तर) को ई-मेल द्वारा सूचित करें। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

2. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी नियम

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर, 2019 में आयोजित की जाएंगी।
- प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण संलग्न प्रपत्रमें दिनांक 16.08.2019 तक उप निदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

3. परीक्षा शुल्क

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
- पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है।

...../4-

4. परीक्षा शुल्क का भुगतान

- परीक्षा शुल्क का भुगतान- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है तभी परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा परीक्षा स्कंध द्वारा उनके प्रवेश-पत्र नहीं भेजे जा सकेंगे।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

5. पूरक परीक्षा-

- मई, 2019 में हुई हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा, नवंबर-2019 के लिए नया आवेदन भरना होगा तथा अपने आवेदन-पत्र पर पुराना अनुक्रमांक (मई-2019 में हुई परीक्षा का) देना होगा। अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में पूरक घोषित किया गया था। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देना होगा।

6. पाठ्यपुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

7. वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

(कार्यालय जापन सं.-212820/66-रा.भा.(प्रशिक्षण)दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	रु.400	रु.800	रु.1600
2.	प्रवीण	रु.600	रु.1200	रु.1800
3.	प्राज्ञ	रु.800	रु.1600	रु.2400

8. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

9. नई कक्षा खोलना

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह सुनिश्चित करे कि जो भी कक्षा(प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) चलानी है उसके लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों की संख्या उपलब्ध हो। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2019 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

10. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- सुलभ संदर्भ के लिए अंशकालिक केंद्रों एवं नियमित प्रशिक्षण केंद्रों की सूची इसके साथ संलग्न है।
- कक्षाओं के गठन के संबंध में जारी किए गए निदेश राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के शहरों यथा फरीदाबाद, गुडगांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि पर भी लागू होंगे।
- सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि सत्र जुलाई-नवंबर, 2019 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।

संपर्क सूत्र

श्रीमती चीना शर्मा उप निदेशक (मध्योत्तर) मो0- 9868347330/ 8920079465 ई.मेल- chti1113@nic .		श्री जितेन्द्र कुमार सिंह सहायक निदेशक मो. 9560213089 फोन : 26176055 ई.मेल- chti1148@nic.in
कार्यालय का पूरा पता : उपनिदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066दूरभाष : 26175246, 26191572		
हिंदी प्राध्यापक	मोबाइल नंबर	ई.मेल
1. श्री राजकुमार	9582854331	chti1232@nic.in
2. श्रीमती नीपा शर्मा	9899989821	chti1227@nic.in
3. श्री आशाराम	9213107791	chti1256@nic.in
4. श्री राजकुमार बाल्मिकी	9971953257	chti1260@nic.in
5. श्रीमती सीमा रानी	9990197892	chti1267@nic.in
6. श्रीमती प्रीति सिंह(चंडीगढ़)	09417166338	chti1170@nic.in
7.डॉ0 रामेश्वर लाल मीणा(जम्मू)	09018451848	chti1272@nic.in
8.श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)	09460474143	chti1277@nic.in
9.श्री महेश चंद्र मीना (देवली,राज0)	09508155071	maheshgudli007@gmail.com

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें तथा दूरभाष एवं फैक्स नंबर भी भिजवाएं। यदि ई मेल का पता भी दे सकें तो हमें पत्राचार में बहुत सुविधा होगी।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.raibhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।



भवदीया,


(वीना शर्मा)


उप निदेशक(मध्योत्तर)

Chti1113

पृष्ठांकन सं. 3/8/2018-उ.नि.(मध्योत्तर)/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तलपंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, 7 वाँ तलपंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. सभी हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित विभागों/ कार्यालयों में जाकर गहन संपर्क करके कक्षाओं का गठन करें तथा किए गए संपर्क कार्य की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।
5. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
6. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ तथा जयपुर तथा देवली राजस्थान।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तलपंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
9. प्रभारी सहायक निदेशक अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2, ए पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-11
10. प्रभारी सहायक निदेशक भाषा पत्राचार स्कंध केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-11


(वीना शर्मा)

उप निदेशक(मध्योत्तर)

chti1113

उपनिदेशक(मध्योत्तर) के अंतर्गत संभावित हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों के पते
(सत्र जुलाई - नवंबर, 2019)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष
1.	सम्मेलन कक्ष हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र आर के पुरम, नई दिल्ली-66	011- 26175246
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली	011-25687114
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली	011- 23098591/4558
4.	वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली	011- 25697551/7529
5.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन, नई दिल्ली	011-25615203
6.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	
7.	सशस्त्र सीमा बल, 25वीं बटालियन, घिंटोरनी, नई दिल्ली	
8.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वैशाली, गाजियाबाद	0120-2894376
9.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	011-23456396
10.	राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
11.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली।	
12.	भारतीय खेल प्राधिकरण, ज0ला0ने0स्टेडियम, नई दिल्ली।	
13.	राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली।	
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटर प्रेनु, सोनीपत (हरियाणा)	0130-221981079
15.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़	0172-2607420
16.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़	
17.	आई टी बी पी, भानु चण्डीगढ़	
18.	सी आर पी एफ, लालबास, जयपुर	0141-238543139
19.	सीमा सुरक्षा बल, लबाना कैंप, जयपुर	
20.	सी आई एस एफ, आमेर, जयपुर	

नामांकन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:

दिनांक

हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी

(मोहर सहित)

अधिकारी का नाम और कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नं

सहित

ई मेल

उप निदेशक (मध्योत्तर),
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली
प्रशिक्षार्थी का विवरण

प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम: प्रशिक्षण सत्र: जनवरी/जुलाई

कक्षा का नाम: हिंदी भाषा दीर्घकालिक

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband name
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation
मातृभाषा:	Mother tongue
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi
मंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम	Name & Designation of the Nominating officer
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल/आईडी/दूरभाष	Full office address With E.mail/ID/ phone
परीक्षा शुल्क भरने का विवरण। FEE DETAILS (if doesn't belong to a direct Central Govt. office/Dept)	
दूरभाष:	Phone/mobile
ई-मेल/आईडी:	E.mail./ Id of candidate
आधार सं०:	Adhhar No.

नोट: कृपया यह प्रपत्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना आवश्यक है और अंग्रेजी का विवरण केवल [BLOCKLETTERS] में ही भरो।

दिनांक:

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर